

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम नियमावली, 2011 के नियम-17 के उपनियम (6) को देखें।

E-mail deo-chnp-edu-uk@nic.in

दूरभाष/फैक्स- 05965230614

कार्यालय:- मुख्य शिक्षा अधिकारी चम्पावत।

दिनांक/ अप्रैल 2025,

पत्रांक-346-52 / शि0का0अ0 / मान्यता / 2024-25  
सेवा में

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक  
अलपार्सिन कान्वेन्ट स्कूल लोहाघाट  
जनपद-चम्पावत।

विषय- बच्चों की निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम - 2009 की धारा 10 के प्रयोजनार्थ निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के नियम 17 के उपनियम (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण-पत्र।


महोदय/महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 17-02-2025 उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय अलपार्सिन कान्वेन्ट स्कूल लोहाघाट को अग्रेणी माध्यम से कक्षा नवमी से कक्षा-08 तक संघालन मात्र 05 वर्ष 2025 से 2030 तक अवधि के लिए मान्यता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी-

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 08 तक की सीमा से बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 तथा उत्तराखण्ड राज्य निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पठोंरा के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक बच्चों का संघालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्ण प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त बच्चों के मामले में इस विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा-12 की उपधारा b के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता संचालित करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान प्राप्त नहीं किया जायेगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा य उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण-पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इन्हें से किसी एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएंगे।
  - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
  - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
  - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को अध्याय 5 के नियम-5.2.2. के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (v) अधिनियम के प्राविधानों के आलोक में निःशुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।
  - (vi) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम के अनुच्छेद 23 की धारा-1 उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
  - (vii) शिक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 24 की धारा -1 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
  - (viii) शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम के अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम के अनुच्छेद 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् होगा-


- विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल,
- कुल निर्मित क्षेत्र,
- खेल के मैदान का क्षेत्र,
- कक्षा-कक्षों की कुल संख्या,
- प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-नण्डार कक्ष,
- बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय,
- पेयजल की सुविधा,
- नव्यान्व भोजन के लिए रसोई-घर,
- वायारहित पहुँच,
- शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय,



अधिलेख पृ 2 पर टंकित


- 11 इस मान्यता द्वारा फोवेल रचीकृत परिवार में ही विद्यालय संचालित किया जाएगा। विद्यालय के भवन से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
- 12 विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग फोवेल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जाएगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के ध्वजशाविक काम हेतु नहीं किया जाएगा।
- 13 विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2000 (1800 का 21) को अन्तर्गत नियमित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट को मान्यता से संचालित होगा।
- 14 विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों को रांध अथवा किसी अन्य व्यक्तियों को स्तूप के लिए संचालित नहीं होगा।
- 15 लेखा का अंवेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउण्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी को एक प्रति प्रतिदिन जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।
- 16 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या PS/03 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को फुपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
- 17 निदेशक विद्यालयी शिक्षा / जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर भौगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
- 18 यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
- 19 यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- 20 परिशिष्ट-4 के रूप में सलग्न अन्य शर्तें।


भवदीय,


  
11/4/2025  
(एम०एस० बिस्ट)  
मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
धम्पावत।

फुस०/346-52/शि०का०आ०/मान्यता/2024-25 दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय धम्पावत।
2. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक)कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी धम्पावत।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी लोहाघाट संबंधित विकास खण्ड।
6. उप शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) संबंधित विकास खण्ड।
7. कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

  
11/4/2025  
मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
धम्पावत।

  
Manager  
Alpine Convent School  
Lohaghat

  
Principal  
Alpine Convent School  
Lohaghat